



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव  
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

**भाग-4**

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, मेसर्स एस.बी.जे. प्रोजेक्ट्स, प्रा. लि. कोतरा रोड़, रायगढ़ द्वारा जांजगीर चांपा वन मंडल अंतर्गत क्लेशर खदान में आवागमन के लिए मार्ग निर्माण हेतु ग्राम छितापंडरिया के कक्ष क्रमांक आर. एफ. 42 के रकबा 0.2091 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 07/12/2021

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

  
(राकेश चतुर्वेदी)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख  
(राकेश चतुर्वेदी)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं  
वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़



**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़**  
**अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002**  
**(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)**

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-901/ 8504

दिनांक 08/12/2021

प्रति,

**प्रमुख सचिव**

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
 मंत्रालय, महानदी भवन  
 नवा रायपुर, अटल नगर

**विषय:-** जांजगीर-चांपा जिले के जांजगीर-चांपा वन मंडल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु AD, SBJ Projects Private Limited द्वारा Construction of New Road (User Agency has used this proposed forest land for our crusher plant, the proposed forest land will be used for inward and outgoing material for his crusher unit) रकबा 0.2091 हे. रजिस्ट्रेशन क्रमांक - FP/CG/ROAD/ 145443/ 2021

**संदर्भ:-** मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 3224 दिनांक 27.11.2021

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

**बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 07) -** मेसर्स एस.बी.जे. प्रोजेक्ट्स, प्रा. लि. कोतरा रोड़, रायगढ़ द्वारा जांजगीर चांपा वन मंडल अंतर्गत केशर खदान में आवागमन के लिए रोड़ निर्माण हेतु ग्राम छितापंडरिया के कक्ष क्रमांक आर. एफ. 42 के रकबा 0.2091 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

**बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 8 से 11) -** वन मंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा वन मंडल द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक - FP/CG/ROAD/ 145443/ 2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.08.2021 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29000 रुपये जमा कराया गया है।

**बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 12 से 13) -** जांजगीर चांपा वन मंडल अंतर्गत कक्ष क्रमांक आर. एफ. -42 में रकबा 0.2091 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

**बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 14 से 15) -** प्रस्तावित क्षेत्र में जांजगीर-चांपा वन मंडल अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र में गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

**बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 16 से 17) -** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 18 से 21) – वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 22 से 27) – प्रपत्र – 4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 0.2091 हे. वन भूमि के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 1.50 लाख बतायी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.6 है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 29 से 36) – जांजगीर चांपा वन मंडल अंतर्गत केशर खदान में आवागमन के लिए रोड़ निर्माण हेतु ग्राम छितापंडरिया के कक्ष क्रमांक आर. एफ. 42 के रकबा 0.2091 हे. वन भूमि के लिए प्रस्ताव का विस्तृत टीप संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 37 एवं 38) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 39 से 40) – प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वन मंडलाधिकारी, जांजगीर-चांपा एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 41 से 42) – पर्यावरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 अनुक्रम में अधिसूचना 2006 के संशोधन दिनांक 22.08.2013 के अधिसूचना के अंतर्गत आवश्यक नहीं है तदाराय का वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 43 से 44) – ग्राम छितापंडरिया के कक्ष क्रमांक आर. एफ. 42 के रकबा 0.209 हे. में जांजगीर-चांपा वन मंडल में प्रस्तावित क्षेत्र वृक्ष विहीन है।

बि.क्र. 13. कास्ट, बेनीफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 45 से 46) – प्रस्तावित परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल/ मानचित्र/ सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 47 से 48 तक) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि / निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 49 से 50) – गैर वन क्षेत्र प्रस्तावित नहीं होने से आसपास का नक्शा आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 51 से 52 तक) – आवेदित वन भूमि 0.209 हे. क्षेत्र में वृक्षों का विदोहन नहीं होना है। अतएव स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना आवश्यक नहीं है। तदाराय का वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 60 से 61) – बिन्दु क्रमांक – 16 में दर्शाये अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण नहीं होने से उपयुक्तता प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 63 से 64) – वन मंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा वन मंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 65 से 66) – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 67 से 68) — बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 69 से 70) — प्रस्तावित परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार के नवीन मार्गदर्शिका हैण्ड बुक के पृष्ठ क्रमांक 48 के पैरा 2.6 (1) के अनुसार किया जावेगा। अतएव गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 71 से 72) — व्यपवर्तन प्रस्ताव मार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं होगा। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 73 ) — प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 74 से 75) — प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 76) — प्रस्ताव किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 77 से 86) — भाग-2 पर वन मंडलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वन मंडल द्वारा दिनांक 15.11.2021 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा वन मंडल के अनुशंसा से मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 27.11.2021 से प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 87 से 88) — व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा वन मंडल एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 89 से 90) — आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक एफ — 5-20/2007/02 दिनांक 12.01.2010) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ. नं. / 11-43/ 2013-एफ. सी. दिनांक 26.02.2019 के अंतर्गत रेखांकित परियोजना में आवश्यकता नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 91 से 92) — जांजगीर-चांपा जिले का कुल वन भूमि 250.66 वर्ग कि.मी. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 93 से 94) — जांजगीर-चांपा वन मंडल में कुल स्वीकृत 10 प्रकरण में 232.894 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 95 से 96) — जांजगीर-चांपा वन मंडल में कुल रकबा 232.894 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ

97 से 98) – प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है। वन मंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा वन मंडल का एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 99 से 100) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 102 से 104) – वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वितीय चरण स्वीकृति के पूर्व जमा किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 105 से 106) – आवेदित क्षेत्र में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। अतः कलेक्टर जांजगीर-चांपा का राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 107 से 108) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 109 से 110) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 111 से 120) – प्रस्तावित स्थल का उपजाऊ छमता एवं वनस्पति की मात्रा काफी कम है उक्त प्रस्तावित भूमि Edaphic Features का होने के कारण गैर वानिकी उपयोग हेतु दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 113 से 114) – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा वन मंडल के द्वारा दिया गया है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 115) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 116 से 119) – बिन्दु क्रमांक -2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 120 से 121) – हाईवे परियोजना होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वन मंडलाधिकारियों का एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 122 से 123) – प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वन मंडलाधिकारियों का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 124) – तीन वैकल्पिक रूट एवं उसके औचित्य को दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में [www.parivesh.nic.in](http://www.parivesh.nic.in) पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

- संलग्न:-
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
  2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 2 प्रतियों में
  3. टाईम लाईन
  4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग-4

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)



(सुनील मिश्रा)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-901/ 8005  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर/ दिनांक 08/12/2021

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वन मंडल, छत्तीसगढ़।
3. मेसर्स एस.बी.जे. प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. कोतरा रोड़, रायगढ़, छत्तीसगढ़।



अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़